

2021/614
“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

साँगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम वायडा की वर्तमान
जमाबंदी संवत् 2074-77 की खाता संख्या 20 में
मेरा अशुद्ध नाम/जाति रामलाल पुत्र शंकर दर्ज है।
जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति रामलाल पुत्र शंकरलाल हैं।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति रामलाल पुत्र शंकर के
स्थान पर शुद्ध नाम/जाति रामलाल पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।


भू. अभि. निरीक्षक वृत्त
शंकर

पटवारी हल्का
शंकर

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कुन्दनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्दनपुर
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति शामलल छ शंकरलल राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है।


तहसीलदार साँगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कुन्दनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्दनपुर
तहसीलदार साँगोद की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति शामलल छ शंकरलल
दर्ज रिकार्ड की जाए।


उपरखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला साँगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

(शिविर स्थान

आदेश

दिनांक 16/11/2021

प्राथी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी

व. भू. अ. नि

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व

जिला की जमाबन्दी सम्बत् 2021-22 में खाता संख्या 20

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	बापडा	20	रामलाल पु शंकर	रामलाल पु शंकरलाल

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
जिला

दिनांक :- 16/11/2021

क्रमांक :- 2757

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राथी श्री को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
जिला